न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 8/2018 **दायर दिनांकः 08/01/2018**

उनवान

1. श्योजीलाल आयु 75 वर्ष पुत्र गणेशनाथ जाति नाथ निवासी कवाई थाना कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. छीतर आयु 60 वर्ष पुत्र घांसीराम जाति नाथ निवासी कवाई
2. धनराज आयु 40 वर्ष पुत्र कालूनाथ जाति नाथ निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 19/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2034 के अनुसार खाता संख्या 697 का ख0 न0 87 का रकबा 0.10 है0 ख00 88 का रकबा 0.17 है0, ख0नं0 89 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 111 का रकबा 0.21 है0, ख0नं0 112 तलाई वाला रकबा 0.02 है0, ख0नं0 113 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 114 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 502 का रकबा 0.42 है0, ख0नं0 504 का रकबा 0.42 है0, ख0नं0 505 का रकबा 0.53 है0, ख0नं0 1178 का रकबा 0.03 है0 ख0नं0 1220 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 1221 का रकबा 0.05 है0 ख0नं0 1222 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1223 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 1224 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1249 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 1252 का रकबा 0. 10 है0 कुल किता 19 का रकबा 2.97 है0 आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज खाता है। प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की भूमि ख0नं0 1223 व 1222, 1224 के पूर्वी हिस्से पर जबरन बाडा बनाकर कब्जा कर लिया है। जिसमें वे लोग जबरन गोबर के कण्डे थेपते है एवं रेवड़ी डालते है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से वहां पर रेवड़ी व गोवर के कण्डे हटाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे अन्त में दिनांक 20.12.2017 को वादी ने प्रतिवादीणण से अपनी जगह पर से रेवडी हटाने व गोबर

के कण्डे हटाने का निवेदन किया तो वे लोग इन्कारी हो गये और वादी की शेष जमीन पर भी कब्जा करने की धमकी दी और वादी को अपनी भूमि में कोट करने से भी मना कर दिया। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैध एवं गैर कानूनी कृत्य को रोका जाना सम्भव नही है। यदि प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि से बेदखल नही किया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। तथा अपने हिस्से की अराजी में प्राप्त चले आ रहे हक हकूको से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु वादी प्रतिवादीगण को ख0नं0 1222, 1223, 1224 पर से प्रतिवादीगण द्वारा डली गई अवैध रेवडी व कण्डों को हटवाकर उन्हें बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। कि वे भविष्य में भी पुनः वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयत्न नही करें। वादी को अपने हिस्से की आराजी का उपयोग, उपभोग शांतिपूर्वक तरीके से करने देवें। जिसमें किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें। वाद कारण दिनांक 20.12.2017 को अंतिम बार वादी द्वारा प्रतिवादीगण से ख0नं0 1222,1223 व 1224 पर डली गई अवैध रेवड़ी व गोबर के कण्डे हटवाने का निवेदन करने पर एवं उनके द्वारा मना करने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा खैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें कि :–

(अ) वाद पत्र मे वर्णित भूमि ग्राम व माल कवाई की ख0नं0 1222, 1223, 1224 पर से प्रतिवादीगण को बैदखल कर कब्जा वदाी को सम्भलाया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह भविष्य में भी उक्त वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा नही करें। वादी को अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग, उपभोग करने देवे जिसमें किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावें। एवं वादी को अपनी भूमि में कोट करवाने से भी नही रोके।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बंद किया जाता है।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 व PW_2 के बयान लेखबद्ध किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया और साक्ष्यवादी पेश न करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये जाते है।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी गई, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम कवाई की खाता सं0 697 किता 19 रकबा 2.97 है0 में वादी श्योजीलाल का हिस्सा 1/6 दर्ज है। प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की भूमि ख0नं0 1223 व 1222, 1224 के पूर्वी हिस्से पर जबरन बाड़ा बनाकर कब्जा कर लिया है। लोगों द्वारा जबरन गोबर के कण्डे थेपते है, एवं रेवडी, डालते है। प्रतिवादी को कई बार कहन के उपरान्त भी वादी को अपनी जमीन पर कोट नही करने की धमकी दी गई।

अतः प्रतिवादीगण को उक्त खाते की भूमि पर से डाली गई अवैध रेवड़ी व कण्डो को हटाकर उन्हें बैदखल कर कब्जा वादी को दिलाई जाकर भविष्य में भूमि पर कब्जा नही करने बाबत् पाबंद किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कवाई की खाता संख्या 697 किता 19 रकबा 2.97 है0 में वादी श्योजीलाल का हिस्सा 1/6 खाता दर्ज है, वादी के हिस्से में ख0नं0 1223 व 1222, 1224 है0 पर वादीगण द्वारा जबरन बडा बनाकर कब्जा कर रेवड़ी डाल रखी है। अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 697 किता 19 रकबा 2.97 है0 में श्योजीलाल वादी का हिस्सा 1/6, ख0नं0 1223, 1222, 1224 पूर्वा हिस्से पर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 8/2018

उनवान

1. श्योजीलाल आयु 75 वर्ष पुत्र गणेशनाथ जाति नाथ निवासी कवाई थाना कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. छीतर आयु 60 वर्ष पुत्र घांसीराम जाति नाथ निवासी कवाई
2. धनराज आयु 40 वर्ष पुत्र कालूनाथ जाति नाथ निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 697 किता 19 रकबा 2.97 है0 में श्योजीलाल वादी का हिस्सा 1/6, ख0नं0 1223, 1222, 1224 पूर्वा हिस्से पर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 16:24:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: